



तु. नं 39/2012

शुक्रवार/बनवारी

दिनांक	आज्ञा पत्र	
24/5/24	<p>अपीलाट डिविजन नं. 491 नं. 1/2012</p> <p>पर 491/2012 वकील अपीलाट नं. 491 नं. 1/2012</p> <p>साहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलाट से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। क्रमसवरूप अपील अपीलाट नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे 3 जजों में सुनाया गया। प्रकरण फंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब में मील दाखिल दफनर हो।</p> <p></p> <p>अनिल कुमार II RAS भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प बुन्दुन)</p>	<p>NOT Press by  [RAJESH PURI]</p>